हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

अष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 73

शुक्रवार, 27 मार्च, 2015/6 चैत्र, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

<u>समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)</u>

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

<u>11.00 AM</u>

1. **<u>प्रश्नोत्तरः</u>**

(I) **तारांकित प्रश्नः**

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 1483 तारांकित प्रश्न संख्या 1786 से 1789, 1791 से 1793,1795 व 1796 के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 1790 व 1794 के उत्तर सभा पटल पर रखे समझे गए। तारांकित प्रश्न संख्या 1797 से 1824 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 826 से 833 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(तारांकित प्रश्न संख्या 1796 पर माननीय मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट विपक्ष के माननीय सदस्यों ने 11.58 बजे पूर्वाह्न सदन से बहिर्गमन किया।)

12-03 PM

2. कागज़ात सभा पटल परः

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य संरचना विकास निगम सीमित, शिमला का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) जे0पी0 सूचना प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 के खण्ड 18 के प्रावधानों के अन्तर्गत जे0पी0 विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14;

(ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 40(1), 40(2)(a), और 10(1) के अन्तर्गत प्राथमिक गृहस्थियों के चयन हेतु मार्गदर्शिका जोकि अधिसूचना संख्याःएफडीएस-ए(3)-02/2009 दिनांक 01.08.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.03.2014 को प्रकाशित;

(iii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 40(1), 40(2)(j), और 29(1) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सतर्कता समिति जोकि अधिसूचना संख्याःएफडीएस-एफ(6)3/2010 दिनांक 01.10.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.10.2014 को प्रकाशित;

(iv) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 40(1), 40(2)(c,d &e), और 15(2) के अन्तर्गत जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति जोकि अधिसूचना संख्याःएफडीएस-ए(3)02/2009-। दिनांक 12.09.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.02.2014 को प्रकाशित;

(v) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 40(1), 40(2)(j), और 29(1) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकान स्तर की सतर्कता समिति स्थापित करना जोकि अधिसूचना संख्याःएफडीएस-एफ(6)3/2010 दिनांक 20.11.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.02.2014 को प्रकाशित; और

(vi) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 40(1), 40(2)(j), और 29(1) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय सतर्कता समिति जोकि अधिसूचना संख्याःएफडीएस-एफ(6)3/2010 दिनांक 21.08.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.08.2014 को प्रकाशित।

(12.05 बजे अपराह्न विपक्ष के माननीय सदस्य पुनः सदन में उपस्थिति हुए।)

12-06 PM

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदनः</u>

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति (वर्ष 2014-15)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **94वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **95वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 20वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **आबकारी एवं कराधान विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **96वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 71वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है ; और

(iv) समिति का **97वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 73वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2014-15) ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **34वां मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)** जोकि **हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित** की गतिविधियों के समस्तरी अध्ययन पर आधारित है; और

(ii) समिति के **79वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 11वें कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित** से सम्बन्धित है ।

(3) **श्री राकेश कालिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति (वर्ष 2014-15)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **16वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि **राजस्व विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(ii) समिति का **17वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि **गृह विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है ।

(4) श्री कर्ण सिंह, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति (वर्ष 2014-15) ने समिति का **12वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि **वन विभाग** द्वारा संचालित गतिविधियों से सम्बन्धित विषयों की समीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

12.08 PM

4. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदानः

अध्यक्ष महोदय द्वारा सम्बोधनः

"**अब वित्तिय वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुदान मांगों** पर चर्चा एवं मतदान होगा। सभा का समय बचाने के लिए मैं, माननीय मुख्य मंत्री, जिनके पास वित्त विभाग भी है, की ओर से सभी मांगों को सभा में प्रस्तुत हुआ समझता हूँ।"

सभी मांगे प्रस्तुत हुई समझी गई।

विपक्ष की ओर से अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान हेतु प्राथमिकताओं का जो क्रम प्राप्त हुआ है उसके अनुरूप मैं उनको सभा में चर्चा एवं मतदान हेतु रखूंगा।

इससे पूर्व कि अनुदान मांगों पर चर्चा आरम्भ हो मुझे माननीय सदस्यों से निवेदन करना है कि वे अपनी- अपनी बात संक्षेप में रखें ताकि ज्यादा अनुदान मांगों पर विचार हो सके। सर्वप्रथम मैं, मांग संख्याः 7 को चर्चा एवं मतदान हेतु लेता हूँ।

मांग संख्या-7 (पुलिस और सम्बद्ध संगठन)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 7-पुलिस और सम्बद्ध संगठन, के अन्तर्गत

राजस्व और पूंजी के निमित ऑर्डर पेपर के कॉलम नम्बर 3 में दर्शाई गई धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाए।

इस पर सर्वश्री ईश्वर दास धीमान, रिखी राम कौंडल, सुरेश भारद्वाज और श्री रविन्द्र सिंह की ओर से 2 कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए।

निम्नलिखित ने चर्चा कीः-

1. श्री ईश्वर दास धीमान
2. श्री रिखी राम कौंडल
3. श्री सुरेश भारद्वाज
4. श्री रविन्द्र सिंह
5. श्री जय राम ठाकुर

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार ।

मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

सदन की बैठक अपराह्न 2.07 बजे सोमवार, दिनांक 30 मार्च, 2015 के अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित हुई ।